ज्ञापांक 1446/परि0,
पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना ।
पटना, दिनांक :— 25/11/19

सेवा में,

सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक (रेल/ईकाई सहित) /,
सभी समादेष्टा/सभी प्राचार्य, बिहार, पटना ।

प्रसंग :— राज्य परिवहन आयुक्त—सह—प्रभारी पदाधिकारी लीड एजेंन्सी, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना का पत्रांक सं0 सु0(लीड एजेन्सी)—05—107/2019—657, पटना, दिनांक 23.10.2019

विषय :— सरकारी वाहन चालकों के प्रशिक्षण के दौरान पाये गये मुख्य तथ्य के अनुपालन करने के सम्बन्ध में ।

———0———

निदेशानुसार उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संदर्भ में कहना है कि राज्य परिवहन आयुक्त—सह—प्रभारी पदाधिकारी लीड एजेंन्सी, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना द्वारा दिनांक 18 एवं 19 सितम्बर 2019 को सचिवालय स्थित सभी विभागों के सरकारी वाहन चालकों को मोटर वाहन (संशोधित) अधिनियम 2019 के प्रावधानों एवं यातायात के सामान्य नियमों से अवगत कराया गया था । इस कम में प्रशिक्षण सत्र में उपस्थित वाहन चालकों से उनके ड्राईविंग लाईसेस तथा वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, प्रूदषण नियंत्रण प्रमाण—पत्र आदि कागजातों के संबंध में पृच्छा की गई, तो उनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार स्थिति निम्न प्रकार पाई गई :—

1. कतिपय सरकारी वाहनों के निबंधन प्रमाण—पत्र (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) या तो अनुपलब्ध था अथवा उनकी छाया—प्रति ही वाहन चालकों के पास था ।
2. वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण—पत्र के बारे में कई चालकों को जानकारी नहीं थी ।
3. कई चालको के पास उस समय ड्राईविंग लाईसेस उपलब्ध नहीं था ।
4. उन्हें सीट बेल्ट लगाने का बहुत अनुभव नहीं था ।
5. सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग से लिए गए वाहनों के लिए अन्य आवश्यक कागजातों के अतिरिक्त व्यवसायिक निबंधन, इन्श्योरेंस, फिटनेश प्रमाण—पत्र एवं परमिट से संबंधित आवश्यक कागजातों की उपलब्धता अनिवार्य है, जिनके बारे में कई चालक जानकारी अप्राप्त बता रहे थे ।

अतः आपके जिला/ईकाई में प्रतिनियुक्त सरकारी वाहनों पर प्रतिनियुक्त चालको को वाहनों के साथ मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निम्न अनिवार्य कागजातों को रखने की व्यवस्था यथाशीध्र की जायः—

क— वाहन का निबंधन प्रमाण—पत्र अथवा उसकी सत्यापित प्रति ।
ख— अघयतन प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण—पत्र ।
ग— चालक के पास वाहन चालन अनुज्ञप्ति की मूल प्रति ।
घ— यदि वाहन आउटसोर्सिंग/किराये/लीज से प्राप्त किए गए है तो उपरोक्त कागजातों के अतिरिक्त निम्न कागजात :—

1— व्यवसायिक निबंधन प्रमाण—पत्र,
2— इन्श्योरेन्स
3— फिटनेश प्रमाण—पत्र,
4— परमिट,
5— पीली नम्बर प्लेट (HSRP)

उपरोक्त के अतिरिक्त,

1— किसी भी गाड़ी में प्रेशर हार्न/मल्टीट्यून हार्न को अधिष्ठापित नहीं किया जाना हैं ।
2— प्रत्येक वाहन में हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाया जाना हैं ।
3— सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है ।
4— अनावश्यक हार्न नहीं बजाना है ।

अतः उपरोक्त आदेश का अनुपालन करवाने हेतु सभी चालकों को निदेशित करने का कष्ट किया जाय ।

22.11.19
पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय),
बिहार, पटना ।

3492381/19
HQRT

प्रतिलिपि :— 1— सभी पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित ।
2— सभी पुलिस महानिरीक्षक (रेल/ईकाई सहित)/सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप—महानिरीक्षक (रेल/ईकाई सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ ।
3— पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस परिवहन मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आ0 कियार्थ ।
4— आई0टी0 मैनेजर, पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ ।

22.11.19
पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय),
बिहार, पटना ।